महत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
1. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं मेरठ विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
3. नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, शाहजहांपुर।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 12 सितम्बर, 2023**

विषयः– **सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरों को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत संचालित आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.सी. के साथ इन्टीग्रेट किये जाने एवं दिव्यांगजनों हेतु सुरक्षा उपायों के संबंध में।**

महोदय,

कृपया सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन संबंधी मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1684/नौ–9–2023–ई–1677525 दिनांक 25.08.2023 एवं विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1 के अर्द्ध.शा.प.सं.–1267सा0/23–1–23–377सा0/17टीसी–2 दिनांक 25.08.2023 **(छायाप्रतियॉ संलग्न)** का अवलोकन करने का कष्ट करें। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.सी. से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु परियोजना की मानिटरिंग करते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं उक्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से 20 सितम्बर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2– प्रकरण में लोक निर्माण विभाग के उक्त पत्र दिनांक 25.08.2023 द्वारा सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों हेतु सुरक्षा उपायों को सम्मिलित किये जाने के लिए (1) ब्रेल लिपि में जनसूचना (2) दिव्यांगजन हेतु जेब्रा क्रासिंग आदि साइनेज (3) दिव्यांगजनों के निर्बाध आवागमन हेतु जनसंस्थानों में रैम्प का व्यवस्थापन आदि कार्य कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नियंत्रणाधीन स्थापित निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./आई.टी.एम.सी. से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु त्वरित व समयबद्ध रूप से गुणवत्ता पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए दिव्यांगजनों हेतु सुरक्षा उपायों के लिए (1) ब्रेल लिपि में जनसूचना (2) दिव्यांगजन हेतु जेब्रा कासिंग आदि साइनेज (3) दिव्यांगजनों के निर्बाध आवागमन हेतु जनसंस्थानों में रैम्प के व्यवस्थापन आदि के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए तद्नुसार सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश गोकर्ण
Date: 1[illegible]
Reason: Approved

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>:–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2. आयुक्त, आगरा, अलीगढ़, बरेली झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या, गोरखपुर एवं मेरठ मण्डल।

3. विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।

4. मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।

5. जिलाधिकारी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा एवं मेरठ।

6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव

2511897/2023/ -3

संख्या- 2121/आठ-3-2023

File No.9-9099/200/2022- -9-

214

i/376153/2023

महत्वपूर्ण/शीघ्र

संख्या-1684/नौ-9-2023/ई-1677525

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

8128/ACS H-23

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
गृह विभाग/परिवहन विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/
महिला एवं बाल विकास विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ बेसिक शिक्षा/
माध्यमिक शिक्षा विभाग/उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग एवं
औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

28/8/23
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 25 अगस्त, 2023

विषय- सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

8256/PS/SH/23

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सेफ सिटी परियोजना के कियान्वयन हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत संचालित आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.एस. के साथ इन्टीग्रेट करके एक स्थान से मॉनिटरिंग की व्यवस्था को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना शासन की प्राथमिकता है। केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों (आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर व वाराणसी) में आई.सी.सी.सी. व आई.टी.एम.एस. परियोजनाए पूर्ण रूप से क्रियाशील है एवं राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के अन्य 06 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ व शाहजहांपुर) में आई.टी.एम.एस. परियोजना के तहत कमाण्ड सेन्टर क्रियाशील है।

JS

29/8/23
(अरविन्द कुमार मौर्य)
अपर निजी सचिव
सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन
उत्तर प्रदेश शासन

उल्लेखनीय है कि नगर विकास विभाग स्तर पर समस्त नगर आयुक्तों के साथ सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कार्य की प्रगति तथा सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं। केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत मण्डलायुक्त एस0पी0वी0 के अध्यक्ष है एवं राज्य स्मार्ट सिटी योजना में भी कार्यो की स्वीकृति मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से प्रदान की जाती है। परियोजनान्तर्गत विभिन्न विभागों का सहयोग एवं समन्वय आवश्यक है। इस हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:

29.8.2023

1. पुलिस विभाग द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट करने हेतु सूची उपलब्ध करायी गयी है, परन्तु कई स्थानों पर इनके इन्टीग्रेशन हेतु सहमति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतएव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त द्वारा सम्बंधित थानों के माध्यम से इण्टीग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा इस हेतु न्यूनतम अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा प्रतिदिन संबंधित कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

2. शहर के समस्त आबकारी की दुकानों के सी.सी.टी.वी. कैमरों को भी इस व्यवस्था से इन्टीग्रेट कराया जाये। इस हेतु जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से समस्त दुकानों के सी0सी0टी0वी0 कैमरों के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। कैमरों के Installation प्रवेश, निकास तथा सार्वजनिक स्थानों पर करते हुए कैमरों को कनेक्ट किया जाये।

3. उक्त व्यवस्था से महिलाओं व छात्राओं के मन में सुरक्षा की भावना विकसित हो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालयों, निजी व सार्वजनिक कालेज, स्कूल, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन सेन्टर इत्यादि की सूची बेसिक

28/8/2023

शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से तैयार करा ली जाय एवं इन संस्थानों के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./ आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट किया जायेगा तथा जिन संस्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरें स्थापित नही है, उन संस्थानों को स्वयं के व्यय पर इन्हे स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा इन कैमरों को भी कनेक्ट किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये। कैमरों के Installation प्रवेश, निकास तथा सार्वजनिक स्थानों पर करते हुए कैमरों को कनेक्ट किया जाये।

4. शहर के ऐसे स्थल जहां पर अत्यधिक भीड़-भाड़ होती है, जैसे- बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैण्ड, मॉल, शापिंग सेन्टर, सिनेमा हाल, किसी भी प्रकार का प्रर्दशनी स्थल, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थलों पर स्थापित कैमरों को सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत आई.सी.सी.सी./ आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट कराया जाये।

5. सभी प्रकार के व्यवसायिक/वाणिज्यिक संगठनों जैसे-इण्डस्ट्री एसोसियेशन, मेडिकल, हास्पिटल, पेट्रोल व गैस एजेंसी तथा रेजीडेन्ट एसोसियेशन व अन्य संगठनों से बैठक करके सभी प्रतिष्ठानों के प्रवेश व निकास द्वार पर स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट किया जायेगा।

6. शहर के सभी स्टेक होल्डर्स को बैठकों के माध्यम से यह अवगत कराया जाये कि सी.सी.टी.वी. कैमरों को कनेक्ट किये जाने से जहां एक तरफ उनकी सुरक्षा होगी, वही दूसरी ओर किसी भी प्रकार के अपराध घटित होने की स्थिति में साक्ष्य संकलन सुविधाजनक होगा। समस्त स्टेकहोल्डर्स के मन में इस प्रकार की भावना विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सके।

7. सोशल मीडिया, वीडियो फिल्म आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार के अतिरिक्त स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा भी इस प्रक्रिया के सम्बंध में जन-जागरूकता की जायेगी।

8. सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत सी.सी.टी.वी. कैमरों को आईसीसीसी/आईटीएमएस से इन्टीग्रेशन की इस पूरी प्रक्रिया में मा0 जन-प्रतिनिधिगण का आवश्यक मार्ग-दर्शन व अपेक्षित सहयोग महत्वपूर्ण है। इस हेतु मा0 जन प्रतिनिधिगण को स्थानीय आईसीसीसी केन्द्र में बुलाकर उनके समक्ष प्रस्तुतीकरण जायेगा व इस प्रक्रिया से लोगों को होने वाले लाभों से अवगत कराया जायेगा।

9. सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./आई.टी.एम.एस. से कनेक्ट करने के दौरान कवरेज की पुष्टि करते हुए इसके लाभ के सम्बंध में वीडियो टेस्टोमोनियल भी प्राप्त किये जाय तथा इन्हे सम्बंधित नगर निगम तथा आई.सी.सी.सी. सेन्टर में सुरक्षित रखा जाये।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सेफ सिटी परियोजनान्तर्गत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरों को आई.सी.सी.सी./आई.टी.एम.एस. से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु परियोजना की मॉनीटरिंग करते हुए उपरोक्तानुसार त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उक्त कार्य उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से 20 सितम्बर तक पूर्ण रूप से Integrated एवं संचालित किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 25-08-2023 19:47:40
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. **समस्त मण्डलायुक्त**, उ0प्र0।
2. **पुलिस महानिदेशक**, उ0प्र0 लखनऊ।
3. **पुलिस महानिदेशक**, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4. **अपर पुलिस महानिदेशक**, ट्रैफिक एवं रोड सेफ्टी/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
5. **निदेशक**, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. **मिशन निदेशक**, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7. **समस्त जिलाधिकारी**, उ0प्र0।
8. **नगर आयुक्त**, समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
9. **गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल**।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

511899/2023/...3

कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या–2129/आठ–3–202
अर्द्धशा0प0सं0–1267 पी/23–1–23–377सा0 / 17टीसी–2
लोक निर्माण अनुभाग–1
उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ: दिनांक 25 अगस्त, 2023

प्रदेश के 17 नगर निगमों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में सेफ सिटी परियोजना के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 22.06.2023 को सम्पन्न बैठक एवं मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 11.07.2023 तथा 25.08.2023 में दिव्यांगजनों हेतु सुरक्षा उपायों को सम्मिलित किये जाने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त बैठकों दिनांक 22.06.2023 एवं 11.07.2023 से संबंधित पृथक–पृथक निर्गत कार्यवृत्त (प्रति संलग्न) के अनुसार निम्न कार्यवाहियां अपेक्षित हैं :–

क्र0 सं0	अपेक्षित कार्यवाही	विभाग	कार्य
5.1	1.ब्रेल लिपि में जनसूचना 2.दिव्यांगजन हेतु जेब्रा क्रासिंग आदि साइनेज 3. दिव्यांगजनों के निर्बाध आवागमन हेतु जनसंस्थानों में रैम्प का व्यवस्थापन	1.दिव्यांजन सशक्तीकरण विभाग 2. लोक निर्माण विभाग 3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1. प्रस्ताव तैयार करना एवं आदेश निर्गत किया जाना 2. क्रियान्वयन

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

2– प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है, कि सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुपालन में अपने नियंत्रणाधीन नगर–निगम क्षेत्र में प्रमुख स्थानों का चिन्हांकन कराते हुए कार्ययोजना तैयार करा लें, जो मार्ग लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं, उक्त मार्गों पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही लोक निर्माण विभाग के बजट से कराया जायेगा। शेष मार्गो के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से कार्य सम्पन्न कराया जायेगा। यदि संबंधित विभाग तकनीकी आधार पर उक्त कार्य कराने में समर्थ नहीं हो रहें हैं, तो उक्त मार्गों का कार्य भी लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपाजिट वर्क (Diposite Work) के आधार पर कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

3– सेफ सिटी परियोजना के संबंध में उच्च स्तर पर नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है, अतः उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)

समस्त नगर आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

New D.O.-29-08-2023-5

संख्या–1267-स्था०(1)/23–1–23–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

2– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजनसशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0शासन।

3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

4– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

5– समस्त विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

6– प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7– मुख्य अभियन्ता (मु0–1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8– समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

बहुमंजिला आवासीय इमरतों/परिसरों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर सी.सी.टी.वी. कैमरों का अधिष्ठापन

क्र.स.	विकास प्राधिकरण/ विनियमित क्षेत्र	बहुमंजिला आवासीय परिसरों कुल की संख्या	बहुमंजिला आवासीय परिसरों में कुल टावरों की संख्या	बहुमंजिला आवासीय परिसरों में लगे हुए कुल कैमरों की संख्या	उन बहुमंजिला आवासीय परिसरों की संख्या जिनमें 7 दिन से अधिक का कैमरा रिकार्डिंग की सुविधा उपलब्ध है	उन बहुमंजिला आवासीय परिसरों की संख्या जिनके प्रवेश एवं निकास द्वार पर कैमरें लगे है		कितने बहुमंजिला आवासीय परिसरों के प्रवेश व निकाय द्वार पर कैमरें नही लगे है	अवशेष कार्य (कालम–9) पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
						संस्थानों की संख्या	अधिष्ठापित कैमरों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3–7)	10